कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-46/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी,
नगर पा लका परिषद, नरेन्द्रनगर,
जनपद- टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड

वषय : नगर पा लका परिषद, नरेन्द्रनगर का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 08 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 46/2017-18/ दिनांक : /11/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या - **46** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ धकारी, नगर पा लका परिषद, नरेन्द्रनगर , जनपद- टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विशाल कुमार गुप्त, स.ले.प.अ. तथा श्री आशीष मालवीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **30.03.2016** से **05.04.2016** तक संपादित की गयी थी। जिसमें माह **04/2012** से **03/2015** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **15.36 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **6,049**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **04**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **04**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **02, बैठक-0**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **28**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: 162 दुकानें/आवास

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि (`) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	667591	7502880	27503537	25883815	21712500	11411695	0	2287313	0	17803685
2015-16	2287313	17803685	26426865	23456807	32190500	27336535	0	5257371	0	22657650
2016-17	5257371	22657650	25684620	17639562	7552000	5287959	0	13302429	0	24921691
कुल योग			**79615022**	**66980184**	**61455000**	**44036189**				

भाग-I. 2(ii)(अ)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	4152000	4152000	4152000	0
2	राज्य वित्त आयोग	4028	23897000	23901028	22488835	1412193
3	अवस्थापना विकास निधि	0	1175000	1175000	0	1175000
4	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	12126500	12126500	76000	12050500
5	रिवोल्विंग फंड	251880	0	251880	0	251880
6	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
7	पार्कों के सौंदर्यीकरण हेतु	0	0	0	0	0
8	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	1964000	1964000	0	1964000
9	चारधाम यात्रा हेतु	0	0	0	0	0
10	बी.आर.जी.एफ.	3443000	0	3443000	2969695	473305
11	दैवीय आपदा निधि	1919000	0	1919000	1919000	0
12	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1889000	2295000	4184000	2295000	1889000
13	निकाय निधि	663563	3606537	4270100	3394980	875120
	कुल योग	**8170471**	**49216037**	**57386508**	**37295510**	**20090998**
--						

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	3987000	3987000	3987000	0
2	राज्य वित्त आयोग	1412193	23897000	25309193	23399600	1909593
3	अवस्थापना विकास निधि	1175000	15000000	16175000	1175000	15000000
4	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	12050500	12126500	24177000	18551421	5625579
5	रिवोल्विंग फंड	251880	0	251880	0	251880
6	स्वच्छ भारत मिशन	0	77000	77000	0	77000
7	पार्कों के सौंदर्यीकरण हेतु	0	1000000	1000000	0	1000000
8	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	1964000	0	1964000	1405809	558191
9	चारधाम यात्रा हेतु	0	0	0	0	0
10	बी.आर.जी.एफ.	473305	0	473305	473305	0
11	दैवीय आपदा निधि	0	0	0	0	0
12	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1889000	0	1889000	1744000	145000
13	निकाय निधि	875120	2529865	3404985	57207	3347778
	कुल योग	**20090998**	**58617365**	**78708363**	**50793342**	**27915021**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	6497000	6497000	1553076	4943924
2	राज्य वित्त आयोग	1909593	23897000	25806593	15983293	9823300
3	अवस्थापना विकास निधि	15000000	0	15000000	0	15000000
4	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	5625579	0	5625579	3551886	2073693
5	रिवोल्विंग फंड	251880	0	251880	0	251880
6	स्वच्छ भारत मिशन	77000	55000	132000	82997	49003
7	पार्कों के सौंदर्यीकरण हेतु	1000000	0	1000000	0	1000000
8	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	558191	900000	1458191	0	1458191
9	चारधाम यात्रा हेतु	0	100000	100000	100000	0
10	बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
11	दैवीय आपदा निधि	0	0	0	0	0
12	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	145000	0	145000	0	145000
13	निकाय निधि	3347778	1787620	5135398	1656269	3479129
	कुल योग	**27915021**	**33236620**	**61151641**	**22927521**	**38224120**

लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है।						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।						

भाग-I. 2(ii)(स)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी का गढ़वाल केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण						
वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	4152000	4152000	4152000	0
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	3987000	3987000	3987000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	6497000	6497000	1553076	4943924
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	128328	128328		128328
2014-15	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	12126500	12126500	76000	12050500
2015-16	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	12050500	221049	12271549	11422991	848558
2016-17	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	848558	424464	1273022	85374	1187648
2014-15	बी.आर.जी.एफ.	3443000	0	3443000	2969695	473305
2015-16	बी.आर.जी.एफ.	473305	0	473305	473305	0
2016-17	बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
2014-15	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1889000	2295000	4184000	2295000	1889000
2015-16	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1889000	0	1889000	1744000	145000
2016-17	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	145000	0	145000	0	145000
--						

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 1– ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना एवं रू0 144.03 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	टनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर (न0पा0प0) के ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1.5 मीट्रिक टन के सापेक्ष केवल 1.00 मीट्रिक टन अपशिष्ट को 03 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत किये संग्रहित किया जा रहा था। उपयोग में लाये जा रहे वाहन खुले थे। न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया एवं भू–भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया था। न0पा0प0 द्वारा नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष प्रेषित नहीं की जा रही थी। न0पा0प0 परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण नहीं उपलब्ध था जिसके कारण संग्रहित अपशिष्ट को बिना किसी प्रक्रिया के अनाधिकृत भू–भाग पर डाला जा रहा था। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड परिक्षेत्र का वायु, भूगर्भीय जल एवं लीचेट (Leachate) की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में पालिका परिक्षेत्र में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के प्राधिकार में कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में लगे किसी भी कर्मचारी को कोई प्रशिक्षण नही दिया गया था। न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान केन्द्रीय वित आयोग, स्वच्छ भारत मिशन एवं राज्य सरकार से प्राप्त कुल धनराशि रू0 164.86 लाख के सापेक्ष रू0 162.92 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी तथा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मात्र 18.89 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रेषित किया गया था

तथा अवशेष धनराशि रू0 144.03 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के पास बिन, वाहन एवं उपकरण में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियां पायी गयी।

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**कमी**
बिन (1 घनमीटर)		42	32	15
वाहन (कैम्पर हाइड्रोलिक)		02	00	02
उपकरण	हाथ ठेली	38	18	20
	फावड़ा/बेलचा	16	08	08

इस प्रकार न0पा0प0 द्वारा पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि डोर–टू–डोर कलेक्शन न होने के कारण सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट नही उठाया जा रहा है, वैज्ञानिक भू–भरण न होने के कारण पृथकीकरण नही किया जा रहा है। वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धितों को भविष्य में प्रेषित की जायेगी। वैज्ञानिक भू–भरण एवं प्रासेसिंग का निर्माण शीघ्र कराया जायेगा। वैज्ञानिक भू–भरण स्थापित न होने के कारण अपशिष्ट को जंगल में शहर से आबादी क्षेत्र से दूर डाला जा रहा है जिसकी प्रदूषण सम्बन्धी जांच भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नही करायी गयी थी। वर्तमान में न0पा0प0 के पास ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं पायी गयी तथा न0पा0प0 के पास ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन के अनुश्रवण की कोई व्यवस्था विद्यमान नही थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 2016–17 में व्यय की गयी राशि रू0 144.03 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किये जाने एवं रू0 144.03 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2:– रू0 25.19 लाख मूल्य के विधुत सामग्रियों के क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन न कियाजाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्वांत के बिन्दु–1 के अनुसार समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एव ंनिष्पक्षता सुनिश्चित की जाये ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। बिन्दु–2 के अनुसार जब तक इन नियमों एवं विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दीजाये, समस्त अधिप्राप्तिया ंनिविदा के माध्यम से की जाये।

नगर पालिका परिषद (न0पा0प0), नरेन्द्रनगर के क्रय पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान निम्नलिखित बिलों के माध्यम से विधुत सामग्रियों का क्रय मित्तल एव ंब्रदर्स, हरिद्वार से बिना किसी निविदा प्रक्रिया अपनायें एव ंबिना कोटेशन आमंत्रित किय`किया गया था।

वर्ष	**बिल संख्या एवंदिनांक**	**बिल की धनराशि**
2015–16	709 / 15.05.2015	13,52,693.00
	746 / 25.10.2015	1,02,672.00
	748 / 25.10.2015	2,72,400.00
योग 2015–16		17,27,765.00
2016–17	416 / 23.03.2017	7,90,966.00
कुल योग		**25,18,731.00**

न0पा0प0 द्वारावर्ष 2015–16 में विधुत सामग्रियों के क्रय हेत ुनिविदा प्रक्रिया माह नवम्बर 2015 में अपनायी गयी थी अतः वर्ष 2015–16 में किया गया उपरोक्त क्रय निविदा प्रक्रिया अपनाये जाने से पूव किया गया था तथा वर्ष 2016–17 में विधुत सामग्रियों के क्रय हेतु किसी प्रकार की निविदा/कोटशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी।

इस प्रकार न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2015–16 में रू0 17.28 लाख एवं वर्ष 2016–17 में 7.91 लाख, कुल रू0 25.19 लाख मूल्य के विधुत सामग्रियों के क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन नहीं किया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करन पर न0पा0प0 द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन किया जायेगा।न0पा0प0 के उत्तर से स्वतः ही आपत्तियों की पुष्टिहोतीहै।

अतः रू0 25.19 लाख मूल्य के विधुत सामग्रियों के क्रय मेंउत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 3 : इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `3,44,901/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल के चयनित निर्माण कार्यों के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान संलग्नक के अनुसार **33** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`3,44,89,876/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में में **`3,44,901/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | इकाई ने आगे आगे बताया कि लेबर सेस की धनराशि ` **3,44,901/-** की कटौती संबन्धित ठेकेदारों से भविष्य के बिलों से की जायेगी तथा राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक 'क'

नगर पालिका परिषद नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल के चयनित निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2015-16 से 2016-17 तक)

क्रं.सं.	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष बिल के भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
			जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	वार्ड नं. 02 में श्री राजेश के मकान के समीप क्षतिग्रस्त सुरक्षा एवं सी.सी.सड़क का कार्य	305052	3051	0	3051
2	वार्ड नं. 03 सिविल लाइन्स के अन्तर्गत आर.मी. रोड में क्रास ड्रेन का कार्य एवं बलदेव सिंह राणा के मकान के समीप पैराफीट एवं रेलिंग का निर्माण कार्य	246107	2461	0	2461
3	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में भूतपूर्व सैनिक श्री सोबन सिंह भण्डारी के मकान के समीप सुरक्षा दीवार एवं सी.सी.सड़क का निर्माण कार्य	404251	4043	0	4043
4	वार्ड संख्या 02 में श्री सेमल्टी के मकान के समीप सुरक्षात्मक कार्य	279507	2795	0	2795
5	वार्ड संख्या 04 में श्री चौहान के मकान से श्री अजीत खट्टर एवं श्री कोठियाल के मकान के समीप नाला मरम्मत कार्य	283428	2834	0	2834
6	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में बाई पास मार्ग पर श्री के.पी.एस. जंग के मकान को जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	283991	2840	0	2840
7	बखरियाल बस्ती में पानी की टंकी की मरम्मत का कार्य एवं वार्ड संख्या 03 में विभिन्न स्थानों पर शौचालय की मरम्मत कार्य	250403	2504	0	2504
8	वार्ड संख्या 03 एवं 02 में शौचालय एवं पटवारी चौकी की मरम्मत निर्माण कार्य	304477	3045	0	3045
9	वार्ड संख्या 03 आयुर्वेदिक कार्यालय से लोक निर्माण विभाग मार्ग तक रेलिंग एवं सी.सी. सड़क मरम्मत कार्य	86444	864	0	864
10	वार्ड संख्या 04 बखरियाणा बस्ती में दिनेश के मकान के समीप क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	222007	2220	0	2220
11	वार्ड संख्या 03 वाल्मिकी बस्ती में आवासों के निर्माण	861998	8620	0	8620
12	वार्ड संख्या 03 में स्व. श्री जगतम्बा उनियाल के मकान के आगे सुरक्षा दीवार एवं सी.सी.निर्माण कार्य	291774	2918	0	2918
13	वार्ड संख्या 01 कुमारखेड़ा बाईपास मार्ग पर राजमहल के समीप के.पी.एस. जंग के मकान को जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य	297958	2980	0	2980
14	वार्ड संख्या 02 बाजार लाइन के अंतर्गत सन-व्यू होटल को जाने वाले मार्ग पर श्री सेमल्टी के मकान के आगे क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	247286	2473	0	2473

15	नरेन्द्रनगर रामलीला मैदान के समीप श्रीदेव सुमन की मूर्ति स्थापना एवं मैदान में लघु मरम्मत का कार्य	264752	2648	0	2648
16	स्व. श्री जगदीश प्रसाद उनियाल के मकान के समीप सुरक्षा दीवार का कार्य	223222	2232	0	2232
17	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में सेग्रीगेशन हॉल के समीप क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	309689	3097	0	3097
18	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में लोक निर्माण विभाग सड़क से दीन दयाल पार्क को जाने वाली सड़क एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	326420	3264	0	3264
19	राजकीय प्राथमिक विद्यालय को जाने वाले मार्ग के समीप एवं श्री कुन्ती के मकान के आगे क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	229369	2294	0	2294
20	वार्ड संख्या 02 लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह को जाने वाले मार्ग पर श्री राजेन्द्र के मकान के समीप क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का निर्माण	323110	3231	0	3231
21	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में श्री डोभाल के मकान के पीछे क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	299266	2993	0	2993
22	वार्ड संख्या 03 श्रीमती जोशी एवं बारात घर के समीप रिटर्निंग वाल का निर्माण	193511	1935	0	1935
23	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में न्यू कॉलोनी के समीप श्री डोभाल के मकान के समीप सुरक्षात्मक दीवार का कार्य	140385	1404	0	1404
24	वार्ड संख्या 04 में सामुदायिक भवन के आगे सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	211983	2120	0	2120
25	वार्ड संख्या 02 बाजार लाइन के अन्तर्गत कोषागार जाने वाली सड़क एवं रेग्मी भवन को जाने वाले पैदल मार्ग पर सुरक्षात्मक दीवार का कार्य	248457	2485	0	2485
26	मधुबन कॉलोनी को जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार का कार्य	282918	2829	0	2829
27	वार्ड संख्या 03 सिविल लाइन्स के अन्तर्गत श्री बिजेन्द्र बिजल्वाण के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार का कार्य	195799	1958	0	1958
28	वार्ड संख्या 2,3 में शौचालय /मूत्रालयों का निर्माण कार्य	268394	2684	0	2684
29	नरेंद्रनगर नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डों में सड़क, नाले, नाली/क्रास ड्रेन, पैरापिट एवं रेलिंग का कार्य	24424030	244240	0	244240
30	वार्ड संख्या 02 बाजार लाइन के अन्तर्गत पालिका गेस्ट हाउस का विस्तारीकरण का कार्य	778079	7781	0	7781
31	वार्ड संख्या 03 में श्री अजीत खट्टर के मकान से आगे गधेरे तक नाला निर्माण	389240	3892	0	3892
32	वार्ड संख्या 02 में श्री कीर्ति दत्त बिजल्वाण के मकान के आगे तक ड्रेनेज कार्य	621296	6213	0	6213
33	बस स्टैण्ड से राजकीय इंटर कॉलेज जाने वाले मार्ग तक नाला निर्माण	395273	3953	0	3953
	कुल योग	**34489876**	**344901**	**0**	**344901**

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4:–विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप विगतदोवर्षोसे रू0 150.00 लाख के अनावश्यक अवरोधन।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1059/IV(2)–श0वि0–45(सा0)–2012 दिनांक 26 अगस्त 2015 के द्वारा नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर (जनपद टिहरी) के क्षेत्रान्तर्गत नरेन्द्रनगर सुमनपार्क के समीप शॉपिंग काम्पलैक्स, टाउनहॉल, श्री देव सुमन पार्क एवं कार्यालय भवन निर्माण काय`हेतु शासन को उपलब्ध कराये गए आगणन की टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणो परान्त संस्तुत लागत रू0 489.62 लाख (रू0 460.75 लाख निर्माण कार्यो हेतु एवं रू0 28.87 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ–साथ रू0 300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 150.00 लाख जारी किये गये थे।

नगर पालिका परिषद (न0पा0प0), के लेखा–अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु पुराने भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही न कियेजाने के कारण उपरोक्त निर्माण कार्य सम्प्रेक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक आरम्भ नहीं हो सका था तथा उपरोक्त काय`हेतु जारी रू0 150.00 लाख की धनराशि नगरपालिका परिषद (न0पा0प0) द्वारा एक बैंक खाते में विगत दो वर्षो से अवरूद्व रखी गयी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर न0पा0प0 द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि स्थल पर विवाद होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नही हो सकी तथा पुराने भवन का ध्वस्तीकरण न होने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका। न0पा0प0 के उत्तर से स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप विगत दो वर्षो से रू0 150.00 लाख के अनावश्यक अवरोधन का प्रकरण संज्ञान म`लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 5: निर्माण कार्यों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती न किए जाने के कारण शासन को `2,73,366/- के राजस्व की हानि |

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए ।

इकाई के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान संलग्नक के अनुसार चयनित **32** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`1,00,65,846/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों में प्रयुक्त नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री के स्वामित्व (रॉयल्टी) **`2,73,366/-** की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से रॉयल्टी की कोई भी कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि रॉयल्टी की धनराशि **`2,73,366/-** की संबन्धित ठेकेदारों से वसूली के पश्चात राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों के समय ही रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः ` **2,73,366/-** की रॉयल्टी की वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पालिका परिषद नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान किए गए निर्माण कार्यों के भुगता									
क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	माप पुस्तिका के अनुसार कार्य में प्रयुक्त किए गए उपखनिज की मात्रा (घन मी. में)				
					बालू	बजरी	बोल्डर	पत्थर	योग
1	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड नं. 02 में श्री राजेश के मकान के समीप क्षतिग्रस्त सुरक्षा एवं सी.सी.सड़क का कार्य	305052	29.00	0.00	0.00	97.00	126.00
2	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड नं. 03 सिविल लाइन्स के अन्तर्गत आर.मी. रोड में क्रास ड्रोन का कार्य एवं बलदेव सिंह राणा के मकान के समीप पैराफीट एवं रेलिंग का निर्माण कार्य	246107	17.00	9.80	0.00	30.00	56.80
3	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में भूतपूर्व सैनिक श्री सोबन सिंह भण्डारी के मकान के समीप सुरक्षा दीवार एवं सी.सी.सड़क का निर्माण कार्य	404251	34.00	9.00	1.00	115.00	159.00
4	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 02 में श्री सेमल्टी के मकान के समीप सुरक्षात्मक कार्य	279507	20.00	2.00	0.00	68.00	90.00
5	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 04 में श्री चौहान के मकान से श्री अजीत खट्टर एवं श्री कोठियाल के मकान के समीप नाला मरम्मत कार्य	283428	24.00	5.50	0.00	69.00	98.50

6	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में बाई पास मार्ग पर श्री के.पी.एस. जंग के मकान को जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	283991	27.00	2.20	0.00	85.00	114.20
7	2015-16	राज्य वित्त	बखरियाल बस्ती में पानी की टंकी की मरम्मत का कार्य एवं वार्ड संख्या 03 में विभिन्न स्थानों पर शौचालय की मरम्मत कार्य	250403	19.00	5.50	0.00	49.00	73.50
8	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 03 एवं 02 में शौचालय एवं पटवारी चौकी की मरम्मत निर्माण कार्य	304477	9.25	15.45	0.00	8.00	32.70
9	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 03 आयुर्वेदिक कार्यालय से लोक निर्माण विभाग मार्ग तक रेलिंग एवं सी.सी. सड़क मरम्मत कार्य	86444	3.60	4.80	0.00	0.00	8.40
10	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 04 बखरियाणा बस्ती में दिनेश के मकान के समीप क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	222007	22.00	1.10	0.00	68.00	91.10
11	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 03 वाल्मिकी बस्ती में आवासों के निर्माण	861998	22.00	48.00	0.00	28.00	98.00
12	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 03 में स्व. श्री जगतम्बा उनियाल के मकान के आगे सुरक्षा दीवार एवं सी.सी.निर्माण कार्य	291774	16.00	28.00	0.00	0.00	44.00
13	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 01 कुमारखेड़ा बाईपास मार्ग पर राजमहल के समीप के.पी.एस. जंग के मकान को जाने वाले मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य	297958	36.00	22.00	0.00	78.00	136.00

14	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 02 बाजार लाइन के अंतर्गत सन-व्यू होटल को जाने वाले मार्ग पर श्री सेमल्टी के मकान के आगे क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	247286	25.00	1.50	0.00	121.00	147.50
15	2015-16	राज्य वित्त	नरेन्द्रनगर रामलीला मैदान के समीप श्रीदेव सुमन की मूर्ति स्थापना एवं मैदान में लघु मरम्मत का कार्य	264752	9.00	18.00	0.00	0.00	27.00
16	2015-16	राज्य वित्त	स्व. श्री जगदीश प्रसाद उनियाल के मकान के समीप सुरक्षा दीवार का कार्य	223222	21.00	1.90	0.00	70.00	92.90
17	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में सेग्रीगेशन हॉल के समीप क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	309689	8.00	16.00	0.00	24.00	48.00
18	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में लोक निर्माण विभाग सड़क से दीन दयाल पार्क को जाने वाली सड़क एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	326420	30.00	6.20	0.00	92.00	128.20
19	2015-16	राज्य वित्त	राजकीय प्राथमिक विद्यालय को जाने वाले मार्ग के समीप एवं श्री कुन्ती के मकान के आगे क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	229369	13.00	2.00	0.00	90.00	105.00
20	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 02 लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह को जाने वाले मार्ग पर श्री राजेन्द्र के मकान के समीप क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का निर्माण	323110	30.00	2.00	0.00	97.00	129.00

21	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में श्री डोभाल के मकान के पीछे क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	299266	27.00	0.00	0.00	91.00	118.00
22	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 03 श्रीमती जोशी एवं बारात घर के समीप रिटर्निंग वाल का निर्माण	193511	15.50	4.80	0.00	41.00	61.30
23	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 01 कुमार खेड़ा में न्यू कॉलोनी के समीप श्री डोभाल के मकान के समीप सुरक्षात्मक दीवार का कार्य	140385	14.00	4.00	0.00	49.00	67.00
24	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 04 में सामुदायिक भवन के आगे सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	211983	20.00	1.00	0.00	68.00	89.00
25	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 02 बाजार लाइन के अन्तर्गत कोषागार जाने वाली सड़क एवं रेग्मी भवन को जाने वाले पैदल मार्ग पर सुरक्षात्मक दीवार का कार्य	248457	20.00	16.00	0.00	46.00	82.00
26	2015-16	राज्य वित्त	मधुबन कॉलोनी को जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार का कार्य	282918	13.00	0.00	0.00	65.00	78.00
27	2015-16	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 03 सिविल लाइन्स के अन्तर्गत श्री बिजेन्द्र बिजल्वाण के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार का कार्य	195799	19.20	1.50	0.00	59.00	79.70
28	2016-17	राज्य वित्त	वार्ड संख्या 2,3 में शौचालय /मूत्रालयों का निर्माण कार्य	268394	3.70	2.90	0.00	6.00	12.60
29	2015-16	बी.आर.जी.एफ.	वार्ड संख्या 02 बाजार लाइन के अन्तर्गत पालिका गेस्ट हाउस का विस्तारीकरण का कार्य	778079	32.00	28.00	0.00	0.00	60.00

30	2015-16	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	वार्ड संख्या 03 में श्री अजीत खट्टर के मकान से आगे गधेरे तक नाला निर्माण	389240	28.00	12.00	140.00	0.00	180.00
31	2015-16	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	वार्ड संख्या 02 में श्री कीर्ति दत्त बिजल्वाण के मकान के आगे तक ड्रेनेज कार्य	621296	32.00	16.00	145.00	0.00	193.00
32	2015-16	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	बस स्टैण्ड से राजकीय इंटर कॉलेज जाने वाले मार्ग तक नाला निर्माण	395273	29.00	22.00	160.00	0.00	211.00
			कुल योग	**10065846**	**668.25**	**309.15**	**446.00**	**1614.00**	**3037.40**

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 6:– रू0 485.04 लाख की लागत के निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति के लिये ई–प्रेक्योरमेंट न अपनाया जाना एवं निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 405/xxvii(7)/2013 दिनांक 11 जनवरी 2013 के अनुसार रू0 1.00 करोड़ एवं उससे अधिक के समस्त निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति के लिये ई–प्रेक्योरमेंट अपनाया जाना आवश्यक था।

उत्तराखण्ड शासन के **पत्रांक 1628/IV(2)- श0वि0–2014–03 (JnNURM)13 दिनांक 28 अक्टूबर 2014** के द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JuNURM) के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत स्वीकृत नवीन योजनाओं के लिये रू0 485.04 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा प्रथम किस्त के रूप में रू0 242.53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत 22 विभिन्न निर्माण कार्यो (नाला निर्माण, सड़क निर्माण, सुरक्षात्मक कार्य एवं सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य) को सम्पादित किया जाना था।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, नरेन्द्र नगर (न0पा0प0) द्वारा उपरोक्त योजना के अन्तर्गत ई–प्रेक्योरमेंट प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी तथा दो समाचार पत्रों के माध्यम से निविदा प्रक्रिया अपनायी गयी थी एवं दिनांक 30.04.2015 को खोली गयी तकनीकी निविदा में तीन फर्मो द्वारा प्रतिभाग किया गया था लेकिन एक फर्म श्री कण्डारी एशोसिएट को तकनीकी निविदा में सफल घोषित नही किया गया था। दिनांक 02.05.2015 को शेष दो फर्मो के आधार पर वित्तीय निविदा खोली गयी थी तथा दोनो फर्मो में से मैसर्स पार्थ कन्सट्रक्शन, मुनी की रेती की दरे न्युनतम होने के कारण मैसर्स पार्थ कन्सट्रक्शन, मुनी की रेती को कार्य सौपा गया।

इस प्रकार न0पा0प0 द्वारा उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में ई–प्रेक्योरमेंट प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया तथा तकनीकी निविदा में सफल मात्र दो फर्मों के आधार पर ही वित्तीय निविदा प्रक्रिया अपनायी गयी।

उपरोक्त के अलावा निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि दिनांक 22.05.2015 थी तथा निर्माण कार्य को एक वर्ष अर्थात दिनांक 22.05.2016 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन सम्प्रेक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति रू0 241.67 लाख थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर न0पा0प0 द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार अनुपालन किया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में अपने उत्तर में बताया कि शासन स्तर से पूर्ण धनराशि अवमुक्त न होने के कारण शेष कार्य नहीं कराया गया।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासनादेश दिनांक 11 जनवरी 2013 के अनुसार रू0 1.00 करोड़ एवं उससे अधिक के समस्त निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति के लिये ई–प्रेक्योरमेंट अपनाया जाना आवश्यक था एवं अपूर्ण निर्माण कार्यो के लिये अवशेष धनराशि उपलब्ध कराया जाना न0पा0प0 का उत्तरदायित्व था।

अतः रू0 485.04 लाख की लागत के निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति के लिये ई–प्रेक्योरमेंट न अपनाया जाना एवं निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर :7 आयकर की धनराशि `80,752/- तथा वाणिज्यकर की धनराशि ` 2,02,745/- का केन्द्रीय सरकार के राजकोष में जमा न कराया जाना।

आयकर नियम-1962 के नियम 30 के अनुसार सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियाँ केन्द्रीय सरकार के जमा खाते मेः-

(i) जहां किसी आय कर चालान को पेश किए बिना-संदत्त किया जाता है, उसी दिन संदत्त की जाएगी; और

(ii) जहां, किसी आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है-, वहां, उस मास के अंत से, जिसमें कर की कटौती की जाती है या धारा 192 की उपधारा (1 क) के अधीन शोध्य हो जाता है। आयकर या सात दिन के भीतर कर संदत्त करना होगा।

(iii)

इकाई के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा-यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. निधि से नरेंद्रनगर नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डों में सड़क, नाले, नालीक्रास ड्रेन/, पैरापिट एवं रेलिंग के कार्य हेतु फर्म (मै. पार्थ कंस्ट्रकशन) को किए गए भुगतानों में से निम्नानुसार`**4,88,482-/** के आयकर तथा `**6,10,502-/** के वाणिज्यकर की कटौती की गई थी परन्तु इकाई द्वारा केवल `**4,07,757-/** के आयकर तथा `**4,07,757-/** के वाणिज्यकर की धनराशि ही केन्द्रीय सरकार के राजकोष/खाते में जमा कराई गईः-

क्र.सं.	**बिल संख्या**	**बिल की धनराशि**	**आयकर**			**व्यापार कर**		
			इकाई द्वारा की गई कटौती	**केन्द्र सरकार के खाते में जमा की गई धनराशि**	**अन्तर**	**इकाई द्वारा की गई कटौती**	**राजकोष में जमा की गई धनराशि**	**अन्तर**
01.	1st	3050495	61010	61010	0	183030	61010	122020
02.	2nd	5159076	103182	103182	0	103182	103182	0
03.	3rd	4141645	82833	82833	0	82833	82833	0
04.	4th	8036579	160732	160732	0	160732	160732	0
05.	5th	4036235	80725	0	80725	80725	0	80725
	कुल	**24424030**	**488482**	**407757**	**80725**	**610502**	**407757**	**202745**

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. निधि में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त धनराशियों को जमा नहीं कराया जा सका | धनराशि प्राप्त होते ही उपरोक्त करों को जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (i) भुगतान के समय उपलब्ध धनराशि (समस्त करों को जोडकर) की सीमा तक ही ठेकेदार को भुगतान किया जाना चाहिए था। तथा (ii)करों की कटौतियाँ भुगतान के अनुपात में तथा संबन्धित निधि पर ही भारित होती हैं, जबकि इकाई द्वारा संबन्धित निधि में उपलब्ध धनराशि से ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया परन्तु निर्धारित कटौतियाँ नहीं की गईं जकि नियमानुकूल नहीं था |

अतः इकाई द्वारा आयकर की धनराशि `**80,752/-** तथा वाणिज्यकर की धनराशि `**2,02,745-/** को केन्द्रीय सरकार के खाते/राजकोष में जमा न कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:8- नियमानुसार सम्प त्तयों का समु चत रखरखाव, कराएदारी के संबंध मे अनुबंध का नवीनीकरण तथा कराए मे अपे क्षत वृद् ध आदि का न कया जाना।

स्वयं के राजस्व मे वृद् ध के लएनगर पा लका परिषद को अपने स्थायी परिसंप त्त के सम्यक रखरखाव तथा उनका उ चत प्रयोग सुनिश्चित कया जाना चाहिए इस संबंध मे उत्तर प्रदेश म्यून्सीपा लटी अ धनियम, 1916 उत्तराखंड राज्य मे भी यथाप्रवृत मे प्रावधान[1] कया गया है।

नगर पा लका परिषद, नरेंद्र नगर के संबन्धित अ भलेखों की जांच मे देखा गया क परिसंप त्तयों यथा दुकान, आवास आदि के रखरखाव एवं उससे अर्जित की जाने वाली राजस्व की वसूली हेतु प्रभावी प्रयास की कमी थी जिसके कारण स्थायी परिसंप त्त से होने वाली आय नगर पा लका परिषद के कुल प्राप्तियों की तुलना मे नगण्य थी। नगर पा लका परिषद नरेंद्र नगर की स्थायी परिसंप त्त[2]के सापेक्ष वगत तीन वत्तीय वर्षों मे मांग एवं वसूली का ववरण निम्न ल खत था:

---

[1]उत्तर प्रदेश नगर पा लका अ धनियम 1916 की धारा 120 मे प्रावधानित है क नगरपा लका मे निहित नगरपा लका क्षेत्र नि ध और समस्त संप त का उपयोजन उन अ भव्यक्त या वव क्षत प्रयोजनों के लए कया जाएगा, जिनके लए इस या कसी अन्य अ धनियम के अधीन, नगर पा लका को शक्ति प्रदत्त है या उस पर कर्तव्य या बाध्यता अ धरो पत कए गए हैं।

[2]दुकान: 108, अस्थायी स्टॉल: 23, आवास: 24 एवं आवास (रिक्त): 07 कुल संख्या :162

(रु. लाख में)

वत्तीय वर्ष	वर्तमान मांग	गत शेष	कुल मांग	संहरण वसूल (प्रतिशत में)	अवशेष मांग
2014-15	5.22	5.99	11.21	3.35 (30)	7.86
2015-16	6.70	7.86	14.56	4.91 (34)	9.65
2016-17	6.57	9.65	16.22	4.48 (28)	11.74

उपरोक्त से स्पष्ट था वगत वर्षों मे वर्षवार कुल मांग के वरुद्द वसूली का प्रतिशत 28 से 34 प्रतिशत था। नियमानुसार सम्प त्तयों का समु चत रखरखाव, कराएदारी के संबंध मे अनुबंध का नवीनीकरण तथा कराए मे अपे क्षत वृद्दि आदि की कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया क स्थायी परिसंप त्तयों के करायों के पुनरीक्षण एवं तथा बकाए कराए के वसूली की कार्यवाही भ वष्य मे की जाएगी।

इकाई का उत्तर से लेखा परीक्षा आप त की पुष्टि होती है, प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर, जनपद- टिहरी गढ़वाल** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ., के पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **22 अगस्त 2017** से **29 अगस्त 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था-प्रतिवेदन संख्या/.नि. 10316-2015//511 दिनांकित .27062016.	शून्य	)4ब-(II के प्रस्तर संख्या से 0105	01

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था प्रतिवेदन/.नि. संख्या-103-2015/ 16/511 दिनांकित .27062016.	शून्य	इकाई द्वारा लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई | इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्रतिवेदन के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार कर प्रेषित कर दी जायेगी |	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका |	

<u>भाग – IV</u>

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

सामान्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **--**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल	अधिशासी अधिकारी	30.10.13 से तक 31.12.2015
02.	श्री संजय कुमार	अधिशासी अधिकारी	08.01.16 से तक 17.12.16
03.	श्री संतोष सिंह गुसाईं	प्रभारी अधिशासी अधिकारी	तक 25.02.17 से 04.01.17
04.	श्री बीतोपवाल.एस.	प्रभारी अधिशासी अधिकारी	तक 10.05.17 से 07.03.17
05.	श्री डीभट्ट.पी.	अधिशासी अधिकारी	से अब तक 11.05.17
06.	श्रीमती दुर्गा राणा	अध्यक्षा	से अब तक 04.05.13

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,कौलागढ़,देहारादून -248195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय